उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-54/2020/एस-2-1421/दस-2020-88क(5)/2017
लखनऊ :: दिनाँक: 29 जुलाई, 2020

कार्यालय-आदेश

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री कमलेश कुमार, संयुक्त निदेशक, पेंशन, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा को उनके अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य कोषाधिकारी, बाँदा के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0] लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

राम रतन
उप सचिव

संख्या-54/2020/एस-2-1429(1)/दस-2020, तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त,चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा।
2- जिलाधिकारी, बाँदा।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
6- मुख्य कोषाधिकारी, बाँदा।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।